र्रोबस्टढं नै॰ ए॰ डी॰--4 लाइसेन्स सं डम्ल्य यी०-41 लाइसेन्स टू पोस्ट विवाज्य प्रीवेसेन्द्र)



# सरकारी गजर, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

#### असाधारगा

### विघायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क) (उत्तर प्रदेश अधिनियम)

# ्रवाखनऊ, शनिवार, 24 प्रक्तूबर, 1981

कार्तिक 2, 1903 शक् सम्बत्

#### उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग---।

संख्या 2783/सज्ञह-वि0-94-81 लबनऊ, 24 अस्टूबर, 1981

श्रविस्चना विविश

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान सण्डल द्वारा पारिज ्रतार प्रदेश होम्योपैश्विक चिकित्सा महाविद्यालय (प्रबन्ध ग्रहण) (संशोधन) विधेयक, 1981 पर दिनांक 23 अस्टूबर, 1981 ई 0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश प्रधिनियम सं0 20 सन 1981 के रूप में तर्वताक्षारण की 🤻 चनार्भ इस अधिसूचना द्वारा प्रकशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश होम्योर्पेथिक निकत्सा महाविद्यालय (प्रबन्ध-ग्रहण) (संशोधन) श्रिधिनियम, 1981

जित्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 1981]

(जसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय ( प्रवन्ध-प्रहण) प्रधिनियम, 1979ः का संशोधन करने के लिए

ग्रधि नियम

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित श्रक्षिनियम बनाया जाता है :—-

1-(1) यह मधिनियम उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (प्रबन्ध संक्षिप्त (संसोधन) ग्रधिनियम, 1981 कहा जायगा। श्रीर प्रारम्भ

(2) यह 2 मई, 1981 से प्रवृत्त समझा जाग्रगा ।

बत्तर प्रदेश स्रधि-नियम संस्था 20 सन् 1979 की भारा 3का प्रति-स्थापन 2— उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (प्रवन्ध-ग्रहण) श्रधिनियम, 1979 की, जिसे ग्रागे मूल श्रधिनियम कहा गया है, धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, श्रर्थात्—

"3—नियत दिन को श्रीर उसी दिन से, तीन वर्ष की श्रविध के लिये सभी श्रनुसूचित हूमहाविद्यालयों का प्रबन्ध राज्य सरकार में निहित होगा ।"

निरसन श्रीर श्रपनाद

- 3—(1) उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (प्रवन्ध-ग्रहण) (संशोधन) भध्यादेश, 1981 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपघारा (1) में निर्दिष्ट श्रध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल श्रधिनियम के श्रधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस श्रधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल श्रिधिनियम के तत्समान उपवन्धों के श्रधीन कृत काय या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस श्रधिनियम के उपवन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्राज्ञा से, गंगा बख्श सिंह, सचिव।

#### No. 2783 (2) /XVII-V-1—94-81

Dated Lucknow, October 24, 1981

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Homoeopathic Chikitsa Mahavidyalaya (Prabandh Grahan) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1981 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 20 of 1981) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on October 23, 1981.

# THE UTTAR PRADESH HOMOEGPATHIC MEDICAL COLLEGES (TAKING OVER OF MANAGEMENT) (AMENDMENT)

ACT, 1981

(U. P. ACT NO. 20 OF 1981)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

to amend the Uttar Pradesh Homoeopathic Medical Colleges (Taking over of Management) Act, 1979.

It is hereby enacted in the Thirty-Second Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement.

- 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Homoeopathic Medical Colleges (Taking Over of Management) (Amendment) Act, 1981.
  - (2) It shall be deemed to have come into force on May 2, 1981.

Substitution of section 3 of U.P. Act no. 20 of 1979.

- 2. For section 3 of the Uttar Pradesh Homoeopathic Medical Colleges (Taking Over of Management) Act, 1979, hereinafter referred to as the principal Act, the following section shall be substituted, namely:
  - "3. On and from the appointed day, the management of all the Scheduled colleges shall vest in the State Government for a period of three years from such date."

Repeal and savings.

- 3. (1) The Uttar Pradesh Homoeopathic Medical Colleges (Taking Over of Management) (Amendment) Ordinance, 1981 is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
G. B. SINGH,
Sachiv.

की क्ष क्यू क्यों 0 ए वर्षो 0 155 सा (विधा 0) -26-10-81-(2393) -- 1981-800 (मैंक 0)